न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 1121 सन 2020

अनवान :—

1. हाकराम पुत्र मनोहरदास जाति स्वामी निवासी गोकुलपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. रामस्वरूप पुत्र मनोहरदास जाति स्वामी निवासी गोकुलपुरा तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

1. भागीरथ पुत्र मनोहरदास जाति स्वामी निवासी गोकुलपुरा तहसील नोहर
2. धर्मपाल पुत्र मनोहरदास जाति स्वामी निवासी गोकुलपुरा तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :— 25/01/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 16 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 43/40 की कुल 2.4790हैक भूमि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से एवं खाता संख्या 53/48 की कुल 3.0360हैक प्रतिवादी संख्या वादी संख्या 2 व खाता संख्या 35/34 की कुल 3.0360हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 तथा खाता संख्या 83/76 की कुल 3.0360हैक भूमि वादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से दर्ज है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 एक ही परिवार के सदस्य है अर्थात आपसी में भाई है वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने काश्त की सुविधा के मध्यनजर आपसी सहमति से खाता विभाजन कर लिया है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है किसी प्रकार का विवाद नही है परन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज नही है जिससे वादीगण के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है वादीगण अपने बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाकर खाता व लगान अलग अलग दर्ज करवाना चाहते है।

अतः वादीगण अपने हक हिस्सा एवं बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के आपसी बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवने के आदेश फरमावे। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने निवेदन किया की वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से दर्ज है वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने काश्त की सुविधा के मध्यनजर आपसी सहमति से बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते है बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती हे तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है आपने कथनों के समर्थन में

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 16 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 43/40 की कुल 2.4790हैक भूमि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से एवं खाता संख्या 53/48 की कुल 3.0360हैक प्रतिवादी संख्या वादी संख्या 2 व खाता संख्या 35/34 की कुल 3.0360हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 तथा खाता संख्या 83/76 की कुल 3.0360हैक भूमि वादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से दर्ज है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 एक ही परिवार के सदस्य है अर्थात आपसी में भाई है वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने काश्त की सुविधा के मध्यनजर आपसी सहमति से खाता विभाजन कर लिया है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है किसी प्रकार का विवाद नही है परन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज नही है जिससे वादीगण के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है वादीगण अपने बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाकर खाता व लगान अलग अलग दर्ज करवाना चाहते है।

अतः वादीगण अपने हक हिस्सा एवं बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 अपने हक हिस्सा व किस्म भूमि के अनुसार खाता व लगान अलग अलग राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 16 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 43/40 की कुल 2.4790हैक भूमि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से एवं खाता संख्या 53/48 की कुल 3.0360हैक प्रतिवादी संख्या वादी संख्या 2 व खाता संख्या 35/34 की कुल 3.0360हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 तथा खाता संख्या 83/76 की कुल 3.0360हैक भूमि वादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से मुश्तरका खाते में दर्ज है जो एक ही परिवार के सदस्य है अर्थात सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 आपस में भाई है।

वादीगण का कथन है वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 जो एक ही परिवार के सदस्य है ने आपसी सहमति से वाद भूमि का बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के मध्य वाद अनुसार बाहमी बटवारा हो चुका है इसी अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 16 आरडब्यलूडी के खाता संख्या 43/40 की कल 2.4790हैक भूमि में से वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 का नाम कलमजन किया जाकर प0न0 237/391(1) के किला न0 1 मिन पश्चिम की 0.228 , 10/0.2530 ,11/.2530 ,20/0.2530, 21/2 की 0.228 कुल 1.215हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज की जावे तथा प0न0 238/391(1) के किला न0 1 मिन उत्तर की 0. 025हैक , 2/0.2530 ,9/0.2530 ,12/.2530 ,19/0.2530 ,22/2 की 0.227कुल 1.264हैक भूमि वादी संख्या 2 के नाम दर्ज की जावे चक 16 आरडब्यलूडी के खाता संख्या 53/48 के प0न0 237/392(6) के किला न0 22/0.2530 ,19 मिन दक्षिण की 0.177हैक , 20 मिन दक्षिण की 0.177हैक कुल 0.607हैक भूमि वादी संख्या 2 की बजाय वादी संख्या 1 के नाम दर्ज की जावे तथा रोही मौजा चक 16 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 35/34 के प0न0 236/392(7) के किला न0 15/0.2530 ,16/0.2530 ,व 6 मिन दक्षिण की 0.0506हैक कुल 0.5560हैक प्रतिवादी संख्या 1 की बजाय प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज की जावे तथा रेाही मौजा चक 16 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 53/48 की भूमि जो वादी संख्या 2 के नाम जर्द है में से प0न0 231/392(6) के किला न0 1 मिन पश्चिम की 0.013हैक , 10 मिन पश्चिम की 0.013हैक, 11 मिन पश्चिम की 0.013है व 20 मिन पश्चिम की 0.0043हैक भूमि वादीगण संख्या 1 ,2 व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम मुश्तरका दर्ज की जाती है शेष भूमि यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 25/01/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. हाकमराम पुत्र मनोहरदास जाति स्वामी निवासी गोकुलपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. रामस्वरूप पुत्र मनोहरदास जाति स्वामी निवासी गोकुलपुरा तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

1 भागीरथ पुत्र मनोहरदास जाति स्वामी निवासी गोकुलपुरा तहसील नोहर
2 धर्मपाल पुत्र मनोहरदास जाति स्वामी निवासी गोकुलपुरा तहसील नोहर।
3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1121 सन 2020 निर्णय दिनांक– 25/01/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 16 आरडब्यलूडी के खाता संख्या 43/40 की कल 2.4790हैक भूमि में से वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 का नाम कलमजन किया जाकर प0न0 237/391(1) के किला न0 1 मिन पश्चिम की 0.228 , 10/0.2530 ,11/.2530 ,20/0.2530, 21/2 की 0.228 कुल 1. 215हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज की जावे तथा प0न0 238/391(1) के किला न0 1 मिन उत्तर की 0.025हैक , 2/0.2530 ,9/0.2530 ,12/.2530 ,19/0.2530 ,22/2 की 0.227कुल 1.264हैक भूमि वादी संख्या 2 के नाम दर्ज की जावे चक 16 आरडब्यलूडी के खाता संख्या 53/48 के प0न0 237/392(6) के किला न0 22/0.2530 ,19 मिन दक्षिण की 0.177हैक , 20 मिन दक्षिण की 0.177हैक कुल 0.607हैक भूमि वादी संख्या 2 की बजाय वादी संख्या 1 के नाम दर्ज की जावे तथा रोही मौजा चक 16 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 35/34 के प0न0 236/392(7) के किला न0 15/0.2530 ,16/0.2530 ,व 6 मिन दक्षिण की 0.0506हैक कुल 0.5560हैक प्रतिवादी संख्या 1 की बजाय प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज की जावे तथा रोही मौजा चक 16 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 53/48 की भूमि जो वादी संख्या 2 के नाम जर्द है में से प0न0 231/392(6) के किला न0 1 मिन पश्चिम की 0. 013हैक , 10 मिन पश्चिम की 0.013हैक, 11 मिन पश्चिम की 0.013है व 20 मिन पश्चिम की 0.0043हैक भूमि वादीगण संख्या 1 ,2 व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम मुश्तरका दर्ज की जाती है शेष भूमि यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेग

पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/01/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)